<u>संख्या: 34/2016/2408/12-2-2016-बजट.5/2012 टी0सी0</u>

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2016

विषय: रबी 2016-17 में प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं में वितरित किए जाने वाले संकर बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 715/12-3-2015-100(48)/2012 दिनांक 15 अप्रैल, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश में संचालित योजनाओं में वितरित किए जाने वाले संकर बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी 2016-17 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदर्शन/सामान्य वितरण इत्यादि कार्यक्रमों में प्रयुक्त होने वाले संकर बीजों को उक्त शासनादेश दिनांक 15 अप्रैल, 2015 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत वितरित कराते हुए संकर बीजों पर अनुमन्य अनुदान डी0बी0टी0 प्रक्रिया के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित किया जायेगा।

[redacted] मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित योजनाओं में [redacted]कर बीजों के वितरण के सम्बन्ध में इच्छुक कृषकों का पंजीकरण दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक लगातार किया जायेगा तथा पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत पूर्व पंजीकृत समस्त कृषक इस हेतु स्वत: पात्र माने जायेंगे। संकर राई के बीजों को दिनांक 25 सितम्बर, 2016 से 25 अक्टूबर, 2016 तथा संकर मक्का के बीजों को दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 से 30 नवम्बर, 2016 के मध्य कम्पनियों के स्टॉल विकास खण्ड स्तर पर लगवाकर बिक्री का आयोजन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उक्त शासनादेश संख्या: 715/12-3-2015-100(48)/2012 दिनांक 15 अप्रैल, 2015 में उल्लिखित शेष शर्ते/प्राविधान यथावत लागू रहेंगी।

5. कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 2016/2408 (1)/12-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/सहकारिता विभाग/वित्त विभाग तथा नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
11. समस्त परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लख्नऊ।
12. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश/जनपदीय उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
16. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।